

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

**RAJYA SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 1993**

ANSWERED ON TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947 (SAKA)  
**PENSION SYSTEM AND REFORMS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**

1993#. SHRI PRADIP KUMAR VARMA

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the number of Central Government employees and pensioners currently covered under the New Pension Scheme (NPS) and the Old Pension Scheme (OPS), the details thereof category-wise;
- (b) the number of cases of delay in pension payments reported in the last three years and the reasons therefor;
- (c) the Central Government's stance on the demand of States for restoration of the Old Pension Scheme (OPS) and the proposed reforms in the National Pension System (NPS); and
- (d) the plans for digitalization and the expansion of online services for the welfare of pensioners?

**ANSWER**

MINISTER OF STATE FOR FINANCE  
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

- (a) The number of Central Government employees are approximately 50.14 lakhs. The category-wise number of Central Government pensioners covered under National Pension System (NPS) and Old Pension Scheme (OPS) are as under:

S.No	Scheme	No. of Pensioners
1	National Pension System (as on 31.01.2026)	49,802
2	Old Pension Scheme (as on 08.12.2025)	69 lakh approximately

- (b) The Government/ Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has not come across any case of delay reported by the subscribers under National Pension System in payment of monthly pension by the Annuity Service Providers (ASPs).

(c) The restoration of Old Pension Scheme in the States falls exclusively under State policy discretion. However, Comptroller and Auditor General (CAG), in its recent State Finance Audit Reports, has highlighted the fiscal implications of reversion to OPS by the States. NPS is a defined contribution-based scheme which was introduced for Central Government employees (except armed forces) joining service on or after 01.01.2004. With a view of improving upon the pensionary benefits for such employees, a Committee was constituted under the chairpersonship of the then Finance Secretary to suggest measures to modify the NPS. Based on the deliberations of the Committee with stakeholders, Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced as an option under NPS with the objective of providing defined benefits after retirement to the Central Government employees covered under the NPS.

(d) The Government has introduced a New Single Simplified Pension Application form through its centralised pension processing software, Bhavishya, mandatory for all Central Civil Ministries/Departments, significantly improving ease of filing. Further, Government has also introduced Digital Life Certificates (DLCs) in accordance with the National Initiative of digitally empowering citizens.

The lump-sum withdrawal/annuity process for NPS is completely digital wherein subscriber can submit the exit request and get the annuity through online process. Email and SMS are sent to the subscribers upon various stages of their Exit as well as credit of lump sum amount/annuities. The life certificate submission facility for subscribers is also through digital mode. Further, new initiatives and technological enhancements are undertaken on an ongoing basis to improve system efficiency for ensuring ease to the subscribers under the NPS architecture.

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1993

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था और सुधार

1993#. श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई पेंशन योजना (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत वर्तमान में कितने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं, तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों में पेंशन भुगतान में देरी के कितने मामले सामने आए और उनके मुख्य कारण क्या हैं;
- (ग) ओपीएस की पुनर्बहाली की राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार का रुख क्या है तथा एनपीएस में प्रस्तावित सुधार क्या हैं; और
- (घ) पेंशनभोगियों के कल्याण हेतु डिजिटलीकरण व ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजना	पेंशनभोगियों की संख्या
1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार)	49,802
2	पुरानी पेंशन योजना (दिनांक 08.12.2025 की स्थिति के अनुसार)	लगभग 69 लाख

(ख): सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) द्वारा मासिक पेंशन के भुगतान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा सूचित किए गए विलंब के किसी भी मामले की जानकारी नहीं मिली है।

(ग): राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली विशेष रूप से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी हाल की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों में राज्यों द्वारा ओपीएस को वापस करने के राजकोषीय भारों पर प्रकाश डाला है। एनपीएस एक परिभाषित अंशदान-आधारित योजना है जिसे 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए शुरू किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से, एनपीएस को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार-विमर्श के आधार पर, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद परिभाषित लाभ प्रदान करना है।

(घ): सरकार ने अपने केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर, भविष्य के माध्यम से एक नया एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र पेश किया है, जो सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों/विभागों के लिए अनिवार्य है, जिससे फाइलिंग करने में आसानी में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की राष्ट्रीय पहल के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) भी पेश किए हैं।

एनपीएस के लिए एकमुश्त निकासी/वार्षिकी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें अभिदाता निकास संबंधी अनुरोध जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिकी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहकों को उनके बाहर निकलने के विभिन्न चरणों के साथ-साथ एकमुश्त राशि/वार्षिकी जमा होने पर ईमेल और एसएमएस भेजे जाते हैं। ग्राहकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी डिजिटल मोड के माध्यम से है। इसके अलावा, एनपीएस संरचना के तहत ग्राहकों को आसानी सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम दक्षता में सुधार के लिए निरंतर आधार पर नई पहल और तकनीकी संवर्द्धन किए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*